दिनांक 02.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 10 लाख 500 रूपय नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 02.08.2025 को थाना कोतवाली नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विजय नगर जाने वाले फ्लाई ओवर के पास से 02 अभियुक्तों 1–सूरज नारायण 2–सोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 लाख 500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज नारायण निवासी संगम विहार थाना संगम विहार, दिल्ली मूलपता–गॉव उत्तरपारा मोतीगंज थाना बीकापुर, अयोध्या।

2–सोनू निवासी गॉव मुनीर का दिल्ली मूलपता–भुजपुरा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी के 10 लाख 500 रूपये नगद।

2—03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना त्रिलोकपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी 01 लाख 97 हजार रूपय नगद**
- **चोरी की (पीली—सफेद) धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 01/02.08.2025 की रात्रि थाना त्रिलोकपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मन्नीजोत तिराहा से 05 अभियुक्तों 1—शिवकुमार उर्फ बड़कन 2—केशवराम उर्फ लम्पट 3—ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश 4—राकेश 5—बूढ़े को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी 01 लाख 97 हजार रूपये नगद, चोरी की (पीली—सफेद) धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना त्रिलोकपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवकुमार उर्फ बड़कन निवासी तिकुईया थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

2—केशवराम उर्फ लम्पट निवासी अर्जुनपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

3—ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश निवासी खैरी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

4–राकेश निवासी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

5–बूढ़े निवासी गॉधी चक थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी 01 लाख 97 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चारी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **65 हजार 620 रूपय**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.08.2025 को थाना पहासू व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खेड़ा नगर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–बबलू 2–गंगा 3–मुशीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 65 हजार 620 रूपये, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पहासू क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पहासू पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त बबलू के विरूद्ध जनपद बदायूं, कासगंज, औरैया, गोरखपुर, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त गंगा के विरूद्ध जनपद बदायूं, कासगंज, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व

अभियुक्त मुशीर के विरूद्ध जनपद बदायूं, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बबलू निवासी ग्राम पंखा खेड़ा, इस्लामनगर थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।

2–गंगा निवासी ग्राम देवरा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

3–मुशीर निवासी ग्राम पंखा खेड़ा, इस्लामनगर थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–65 हजार 620 रूपये।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 मोबाइल फोन**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 01.08.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1–सुभाष उर्फ कालू 2–हुसैन खान उर्फ हुसैन मोहम्मद 3–नासिर हुसैन 4–सुधीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 मोबाइल फोन, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुधीर के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुभाष उर्फ कालू निवासी ग्राम जौली थाना भौपा जनपद मुजफ्फरनगर।

2–हुसैन खान उर्फ हुसैन मोहम्मद निवासी गली नं0–09 सदर बाजार करनाल मूलपता–सईद छपरा थाना इन्दी जनपद करनाल, हरियाणा।

3–नासिर हुसैन निवासी जयहिन्द नगर बरखेड़ा पढानी थाना गोविन्दपुरा जनपद भोपाल, म0प्र0।

4–सुधीर निवासी अम्बेडकर गली नं0–01, कूकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–12 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 मोबाइल फोन।

3–02 दो पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिखेड़ा</u> <u>(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना सिखेड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/363/376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहसीन को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना सकीट</u> <u>(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जैथरा</u> <u>(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————